राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

चण्डीगढ़ दिनांक, 21 अगस्त, 1978

क्रमांक 1172-ज(I)-78/23104.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1)तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती धन कौर विधवा श्री हजारा सिंह निवासी अम्बाला छावनी, तहसील व जिला अम्बाला को खरीफ़ 1964 से रबी 1970 तक 100 रु० वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150/- रु. वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1189-ज(II)-78/23108.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल श्री तेग सिंह पुत्र श्री नौरंग सिंह, गांव राहड़ा, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1966 से रबी 1970 तक 100 रु. वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150/- रु. वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1172-ज(II)-78/23112.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(1ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मलखानी देवी विधवा श्री सुलतान सिंह, गांव नारायणा, तहसील पानीपत, जिला करनाल को रबी, 1973 से 150/- रु. वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1062-ज(I)-78/23116.— पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती शरबती देवी विधवा श्री रती राम गांव कायला, तहसील व जिला भिवानी को खरीफ 1969 से रबी, 1970 तक 100 रु. वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150/- रु. वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 अगस्त, 1978

क्रमांक 1244ज(II)-78/23395.—श्री रंगराव सिंह, पुत्र श्री सुख राम, गांव कनहाड़वास, तहसील झज्जर , जिला रोहतक, की दिनांक 28-2-77 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री रंगराव सिंह को मुब्लिग 150/- रु. वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2283ज(II)-72/32282, दिनांक, 29 अगस्त, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती उमराव्ती के नाम खरीफ, 1977 से 150/- रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक 1227ज(II) 78/23399.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती जमना देवी, विधवा श्री जग राम, गांव गढ़ी, तहसील पलवल, जिला गुड़गाँवा की रबी, 1973 से 150/- रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1188-ज(II)-78/23403**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे

गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	वार्षिक राशि
1	2	3	4	5	6	7
						रुपये
1	करनाल	श्री गोरधन दास, पुत्र श्री मुन्शी राम	किवाना	पानीपत	रबी, 1973 से	150
2	,,	श्री राम किशन, पुत्र श्री गोकल राम	खेड़ीनाह	करनाल	खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150
3	,,	श्री भोलड़ सिंह, पुत्र श्री जुग लाल	महावति	पानीपत	रबी, 1966 से रबी, 1970 तक	100
					खरीफ, 1970 से	150

क्रमांक 1263ज (II) 78/23407.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री छोटू राम, पुत्र श्री शिव लाल, गांव पौली, तहसील व जिला जींद को खरीफ 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1153-ज (II)-78/23414.—श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री बलवन्त सिंह गांव लुहारी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 5 मार्च, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री सरदार सिंह को मुब्लिग 200/- रु. वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3242-ज (II)-77/3230, दिनांक 1 फरवरी, 1978, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी अवधि विधवा श्रीमती कलावती देवी के नाम खरीफ 1978 से 200/- रु. वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

दिनांक 29 अगस्त, 1978

क्रमांक 1277-ज(II)-78/23871.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री पाला राम, पुत्र श्री कुड़े सिंह, गांव मोरखेड़ी, तहसील व जिला रोहतक, को रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1247-ज(II)-78/23875.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रणधीर सिंह, पुत्र श्री बलवन्त सिंह, गांव छोछी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 140 रुपये वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 200 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।